भारत सरकार
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 1240

मंगलवार, 11 फरवरी, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

व्यवसाय करने में आसानी की पहल

1240. श्री जिया उर रहमानः
श्री पी. सी. मोहनः

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) शहर के बुनियादी ढांचे को बढ़ाने, नवाचार का समर्थन करने और निवेश आकर्षित करने के लिए सरकार द्वारा लक्षित किसी भी आगामी औद्योगिक विकास परियोजनाओं या पहल की योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) वर्तमान में शहर में निवेश प्रवाह को प्रभावित करने वाले कारकों को संबोधित करने के लिए सरकार द्वारा उठाए जा रहे विशिष्ट कदमों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने देश में विशेष रूप से बेंगलुरु में व्यापार करने में आसानी बढ़ाने के लिए विनियामक सुधारों और स्टार्टअप्स और छोटे उद्यमों के लिए वित्तीय सहायता के संदर्भ में कोई नई पहल की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार अनुसंधान एवं विकास, बुनियादी ढांचे के विकास और उभरते उद्योगों के लिए समर्थन सहित राष्ट्रीय नीतियों के माध्यम से प्रौद्योगिकी और नवाचार केंद्र के रूप में बेंगलुरु की भूमिका को किस हद तक बढ़ाने का प्रस्ताव रखती है?

उत्तर
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री जितिन प्रसाद)

(क) से (घ) : भारत के व्यावसायिक माहौल को बेहतर बनाने, निवेश आकर्षित करने और बेंगलुरु सहित देश में नियामक वातावरण को और अधिक व्यापार अनुकूल बनाकर आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के विजन से, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) ने प्रमुख कार्यक्रम- ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत अनेक पहलें की हैं जिसमें व्यवसाय सुधार कार्य योजना (बीआरएपी), बी-रेडी मूल्यांकन, जन विश्वास और व्यवसायों व नागरिकों के अनुपालन बोझ को कम करना शामिल हैं। विनियामक अनुपालन बोझ (आरसीबी) पहल के तहत, देशभर में 670 अधिनियमों के तहत 42,000 से अधिक अनुपालनों को कम किया गया है। इसके अलावा, ईज़ ऑफ लिविंग और ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ाने के लिए, केंद्र सरकार ने जन विश्वास (प्रावधानों में संशोधन) अधिनियम, 2023 के जरिए 19 मंत्रालयों/विभागों के 42 केंद्रीय अधिनियमों के 183 प्रावधानों को गैर-अपराधीकृत किया है।

उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) द्वारा वर्ष 2014 में बीआरएपी पहल की शुरुआत की गई थी जिसका उद्देश्य बाधाओं को कम करना तथा मंजूरियों और विनियामक प्रक्रियाओं को अधिक पारदर्शी और कुशल बनाकर व्यवसाय के लिए समय और

लागत में कमी लाना है। साक्ष्यों और प्रयोक्ता फीडबैक के आधार पर राज्यों का मूल्यांकन किया जाता है ताकि आधारभूत स्तर पर सुधारों का प्रभावी होना सुनिश्चित किया जा सके।

अब तक, बीआरएपी के छः संस्करण (वर्ष 2015, 2016, 2017-18, 2019, 2020 और 2022) पूरे हो चुके हैं तथा तद्नुसार राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों का मूल्यांकन किया गया है।

डीपीआईआईटी ने विनियम की लागत (सीओआर) संबंधी कार्य शुरू किया है जिसका उद्देश्य सेवाओं के लिए प्रशासनिक लागतों के संबंध में समस्यापूर्ण क्षेत्रों की पहचान और उनमें सुधार करना है। यह विभिन्न खर्चों की जांच करता है, जिसमें सांविधिक शुल्क, पेशेवर सेवाओं का प्रभार, विलंब के आर्थिक प्रभाव तथा अनुमोदन प्राप्त करने के लगने वाला समय लागत शामिल है। यह फ्रेमवर्क इन लागतों की सकल गणना को दर्शाता है ताकि उन सुधारों का पता लगाया जा सके जिनकी आवश्यकता है तथा प्रक्रियागत दक्षता को बढ़ाया जा सके जिससे ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में सुधार होता है।

ईज़ ऑफ लिविंग और ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ाने के लिए भारत सरकार ने जन विश्वास (प्रावधानों में संशोधन) अधिनियम, 2023 के जरिए 19 मंत्रालयों/विभागों के 42 केंद्रीय अधिनियमों के 183 प्रावधानों को गैर-अपराधीकृत किया है। गैर-अपराधीकरण प्रक्रिया में कारावास और/अथवा जुर्माने को हटाना, कारावास को हटाकर जुर्माने को बनाए रखना, कारावास के स्थान पर जुर्माने को बढ़ाना, कारावास और जुर्माने को पेनल्टी में बदलना तथा अपराधों की कंपाउंडिंग शुरू करना शामिल है। डीपीआईआईटी भावी जन विश्वास 2.0 विधेयक के लिए 112 नियमों और कानूनों की समीक्षा कर रही है, जिसका उद्देश्य व्यावसायिक वातावरण में और सुधार करना है। संयुक्त संसदीय समिति ने भारत के विनियामक परिदृश्य के जारी आधुनिकीकरण की वकालत करते हुए अतिरिक्त अधिनियमों का गैर-अपराधीकरण करने के प्रयासों का विस्तार करने का समर्थन किया है।

बी-रेडी पहल व्यावसायिक वातावरण का वार्षिक और वैश्विक मूल्यांकन प्रस्तुत करता है। इसका उद्देश्य आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देना तथा गरीबी का उन्मूलन करना है। बी-रेडी न केवल व्यवसायों बल्कि कामगारों, उपभोक्ताओं, नए उद्यमों और वातावरण की सहायता करके निजी क्षेत्र का विकास करने के लिए है। इस लक्ष्य को तीन प्रमुख कार्यनीतियों: सुधारों की वकालत, नीतिगत मार्गदर्शन और विश्लेषण तथा अनुसंधान के जरिए किया जाता है। बी-रेडी प्रभावी रूप से अंतर्राष्ट्रीय बेंचमार्कों की सूचना देकर, जानकारी के आदान-प्रदान और सरकारों, निजी क्षेत्र, विश्व बैंक समूह, तथा विकास संस्थाओं के बीच बातचीत में तेजी लाकर नीतिगत सुधारों की हिमायत करता है। यह विशिष्ट नीतिगत परिवर्तनों का मार्गदर्शन करके, अर्थव्यवस्थाओं द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सर्वश्रेष्ठ पद्धतियों से तुलना करने के तरीकों से संबंधित विस्तृत डाटा उपलब्ध कराता है।

सरकार ने, नवप्रयोग, स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए मजबूत इकोसिस्टम का निर्माण करने तथा देश के स्टार्टअप इकोसिस्टम में निवेश को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 16 जनवरी 2016 को स्टार्टअप इंडिया पहल शुरू की है। स्टार्टअप इंडिया पहल के तहत, सरकार बेंगलुरु सहित देश के सभी क्षेत्रों के विभिन्न सेक्टर्स में स्टार्टअप ईकोसिस्टम के विकास और वृद्धि के लिए निरंतर विभिन्न प्रयास करती है। प्रमुख स्कीमें नामत: स्टार्टअप्स के लिए निधियों का कोष

(एफएफएस), स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम (एसआईएसएफएस) और स्टार्टअप्स के लिए ऋण गारंटी स्कीम (सीजीएसएस) स्टार्टअप्स को उनके व्यवसाय चक्र के विभिन्न चरणों में सहायता प्रदान करती है। सरकार आवधिक कार्य और कार्यक्रम भी कार्यान्वित करती है जिसमें राज्य स्टार्टअप रैंकिंग, राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार और नवप्रयोग सप्ताह शामिल हैं, जो स्टार्टअप ईकोसिस्टम के समग्र विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

तीव्र और समावेशी विकास के लिए देश में प्रौद्योगिकी समर्थित, लक्षित, किफायती, लोचपूर्ण, सतत और विश्वसनीय लॉजिस्टिक्स ईकोसिस्टम का विकास करने के लिए भारत सरकार ने सितंबर 2022 में 'राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति' शुरू की है। इसमें राज्य/शहर स्तरीय लॉजिस्टिक्स योजनाओं के विकास में सहायता शामिल है।

भारत सरकार के राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरिडोर विकास कार्यक्रम (एनआईसीडीपी) के भाग के रूप में, औद्योगिक कॉरिडोरों की परिकल्पना वैश्विक विनिर्माण को बढ़ावा देने, तैयार सुविधाओं से युक्त निवेश गंतव्य केन्द्रों, वॉक-टू-वर्क अवधारणा वाले स्मार्ट शहरों और मांग से पहले सर्वश्रेष्ठ गुणवत्ता वाली अवसंरचना का निर्माण करने के लिए की गई है। केंद्र सरकार ने चेन्नई-बेंगलुरु औद्योगिक कॉरिडोर (सीबीआईसी) के भाग के रूप में तुमकुरु (कर्नाटक) को अनुमोदित किया है।

डीपीआईआईटी के तत्वावधान में तथा nsws.gov.in के जरिए उपलब्ध नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम (एनएसडब्ल्यूएस) उद्योग हेतु गवर्नमेंट टू बिजनेस (जी2बी) अनुमोदनों और निवेशक संबंधी मंजूरियों के लिए वन स्टॉप डिजिटल प्लेटफॉर्म है। यह जानकारी को एकरूप बनाकर तथा अनेक विभागीय पोर्टलों के इस्तेमाल की आवश्यकता को न्यूनतम करके जी2बी अनुमोदन प्रक्रिया को सरल एवं कारगर बनाता है।

वर्तमान में, 32 केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों तथा 29 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को एनएसडब्ल्यूएस पर एकीकृत किया गया है जिसमें 278 केंद्रीय जी2बी सेवाएं और 2977 राज्य जी2बी सेवाएं उपलब्ध हैं। इसके अलावा, व्यावसायिक उपक्रमों को सूचना के मुक्त प्रवाह और पहुंच में सहायता प्रदान करने के लिए 658 केंद्रीय जी2बी सेवाओं और 6,787 राज्य जी2बी सेवाओं के साथ नो यॉर अप्रूवल (केवाईए) मॉड्यूल लाइव है।

*****